

4

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 15 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 24 / 01 / 2026

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेरहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण क्रमांक एम0ए0सी0सी0 534/2021 सुनीता सिंह विरुद्ध डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस एवं सोलहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा में लंबित क्लेम प्रकरण एम0ए0सी0सी0 क्रमांक 703/2023 डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस विरुद्ध सुनीता सिंह दोनों प्रकरण एक ही घटना से उद्भूत होने के कारण क्लेम प्रकरण एम0ए0सी0सी0 534/2021 सुनीता सिंह विरुद्ध डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस को तेरहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु सोलहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 449 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 24 / 01 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. तेरहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा म.प्र.।
की ओर प्रकरण क्रमांक-एम0ए0सी0सी0 534/2021 सुनीता सिंह विरुद्ध डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
2. सोलहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रीवा म.प्र.।
की ओर प्रकरण क्रमांक एम0ए0सी0सी0 क्रमांक 703/2023 डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस विरुद्ध सुनीता सिंह मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

o/c